फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

श्रीमती माया देवी बनाम बाबूलाल वर्मा

केस संख्या 31/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
13.06.2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट उपस्थित है। अपीलान्ट ने अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के प्रकरण संख्या 11/20112 ब उनवानी बाबूलाल बनाम अमन वर्मा में पारित आदेश दिनांक 25.01.2023 के विरूद्व यह अपील पेश की है। अपीलार्थी का कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अन्य मामलों में अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील पेश करने के निर्देश दिये है जिसके आधार पर यह अपील सुनवाई क्षेत्राधिकार में है। अपीलान्ट को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 16 में केवल अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी वरिष्ठ नागरिक या अभिभावक को ही अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। अपीलार्थी ने जिस रिट का उल्लेख किया गया है, उसमें अपीलार्थी का नाम नही है। माननीय उच्च न्यायालय ने एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 11941/2021 आदेश दिनांक 27 फरवरी 2023 की प्रति एडीशनल सोलीसीटर जनरल को अधिनियम में परिवर्तन कराने के लिए प्रेषित की है। यह अपील प्रत्यर्थी बाबूलाल वर्मा की पुत्रवधु द्वारा पेश की गई है। अपीलार्थी की ओर से घरेलू हिंसा एवं भरण पोषण का मामला मान्य सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक अधिनियम में इस बाबत आवश्यक परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक पुत्रवधु द्वारा अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील ग्रहण योग्य नहीं है । फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज कीं जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में चारःजोई करने के लिए स्वंतत्र है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner